उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी (अलवर) राजस्थान

योगराज / योगराज ..... मुकदमा नं० 415

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी उप पीठासीन अधिकारी [illegible] हैं। दिनांक 27/12/18 को पेश हो।	
27/12/18	वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 15/2/19 को पेश हो	
15/2/19	वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है पत्रावली गत आदेश की पालना में दिनांक 24/5/19 को पेश हो	
24/5/19	वकील प्रार्थी, वादी/अप्रार्थी, प्रतिवादी उप पीठासीन अधिकारी [illegible] का पेश होना [illegible] दिनांक 28/6/19 को पेश हो।	
28/6/19	डिक्रीदार के वकील उक्त। डिक्रीदार के वकील चाहिए कि बताया कि उक्त डिक्री की पालना हुई है तो उचित। तथा डिक्रीदार के वकील द्वारा आदेश पत्र पर लिखा गया कि उक्त डिक्री की पालना हुई है तो उचित। साथ इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। तथा: प्रार्थना पत्र स्वराज डिक्रीदार वकील द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुसार डिक्री की पालना होना बताया जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वराज इसी स्तर पर खारिज किया गया। मिसल फैसल हुआ। होना बताया है कि कार्य की जानकारी वादी वकील को मिल गई है।	Noted पालना होगी

उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

Scanned by CamScanner